म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 371

दिनांक 07/3/2020

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अध्यधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 155वीं बैठक दिनांक 29/02/2020 के एजेण्डा कमांक (155)–3 में लिए गये निर्णय के अनुकम में रेनेसां विश्वविद्यालय, इन्दौर परिसर में प्रस्तावित निम्नलिखित पाठ्यकमों को (तालिका कमांक –01 में दर्शित) उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार सत्र 2020–21 से प्रारम्भ करने हेतु अनुज्ञा निम्न शर्त के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

(तालिका कमांक –01)

New Proposed courses. – नवीन पाठ्यकम

S.No	Name of the course	Ordinance No.	Intake capacity
1	B.Sc. Animation & Multimedia	12	60
2	B.Sc. Forensic Science	12	120
3	BA Applied Economics	12	120
4	B.Sc. Police Science	12	120
5	M.A. Psychology	16	120
6	B.A. Psychology	12	120

आयोग द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा दिनांक 15/02/2020 एवं आयोग की बैठक दिनांक 29/02/2020 में किये गये अनुमोदन के अनुकम में विश्वविद्यालय में वर्तमान में संचालित निम्न पाठ्यकमों (तालिका कमांक–2 में दर्शित) में स्वीकृत सीट संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की अनुमति निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है। यह वृद्धि आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 से प्रभावशील होगी।

(तालिका कमांक –02)

Approval for Increase in Intake in Existing courses. – संचालित पाठ्यकमों में सीट वृद्धि

S.No	Name of the course	Ordinance No.	Approved Intake (Existing)	Request for Additional intake	Total Intake
1	B.Sc. Agriculture	11	180	180	360
2	B.Design	11	240	120	360
3	MBA	16	300	120	420

निरंतर –2

रेनेसा विश्वविद्यालय, इन्दौर द्वारा प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने की अनुमति एवं वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीट संख्या में वृद्वि बावत् आदेश।

शर्ते :–

1. विश्वविद्यालय उपरोक्त पाठ्यक्रमों का संचालन संबन्धित विनियामक संस्थाओं, म.प्र. शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013,2016 के प्रावधानों के अनुसार करेगा।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु संबन्धित विनियामक परिषद के मापण्दडों के अनुसार अधोसंरचना, सुविधाओं की उपलब्धता एवं शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषद की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन/मापदण्डो का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक एवं संबन्धित बोर्ड से प्रत्यायन एवं मूल्याकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु संबन्धित विनियामक परिषद से ग्रेडिंग एवं रैंकिग आवश्यक रुप से प्राप्त करना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी. में) संधारित करना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता/शिकायत पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गभीरता न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

सचिव

पृष्ठाकन कमांक...372..... म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल **दिनांक 07/3/2020**

प्रतिलिपिः–1. कुलसचिव,रेनेसा विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
2. अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनार्थ।
3. आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. छात्रवृति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।

सचिव